उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या- 6/2018/आडिट-2-1281/दस-2018-352(3)/2017
लखनऊ : : दिनांक : 16 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों के निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा किए गये निम्नवत् स्थानांतरणों को सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति सत्र 2018-19 से 2021-22 के प्रस्तर-11 में उल्लिखित अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों से आच्छादित/नियम विरूद्ध होने के कारण एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है :-

| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम व पदनाम | निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद का आदेश संख्या व दिनांक | किये गये स्थानान्तरणके फलस्वरूप तैनाती का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रणजीत कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजीपुर। | सं.अधि/2018-19/ क-02, दिनांक 31.05.2018 | कार्यालय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजीपुर से मंडल कार्यालय, गोरखपुर |
| 2 | श्री अशोक कुमार मिश्र, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, बलिया। | सं.अधि/2018-19/ क-03, दिनांक 31.05.2018 | कार्यालय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बलिया से मंडल कार्यालय, आजमगढ़ |
| 3 | श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव -2, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ | सं.अधि/2018-19/ क-04, दिनांक 31.05.2018 | निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, लखनऊ से मंडल कार्यालय, इलाहाबाद। |

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या- 6/2018/आडिट-2-1281(1)/दस-2018-352(3)/2017, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
(2) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो उ0 प्र0 लखनऊ।
(4) संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0 प्र0।
(5) संबंधित कर्मचारी।
(6) संबंधित उपनिदेशक मंडल/ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।